नीति सं. आर बी/सी ई/10/2003

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2003/सी ई I/सी टी/14 नई दिल्ली, दिनांक : 15-10-2003

प्रेषित:

संलग्न सूची के अनुसार,

विषय : निविदा समिति के स्वत:पूर्ण तथा स्वत:स्पष्ट कार्यवृत्त तैयार करने के संबंध में अनुदेश जारी करना.

क्षेत्रीय रेलों पर एक सतर्कता मामले की जांच के दौरान सतर्कता शाखा द्वारा यह पाया गया है कि असंतोषजनक प्रमाण-पत्रों के आधार पर निम्नतम बोलीदाता (एल-1) की अनदेखी कर दी गई थी और निविदा ऊंची दर पर दूसरे निम्नतम बोलीदाता (एल-2) को दे दी गई थी. हालांकि, निविदा समिति के निर्णय को औचित्यपूर्ण माना गया था परंतु यह निर्णय निविदा कार्यवृत्त में दिए गए तर्कों से पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं होता था. इस संबंध में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भी पाया है कि निविदा समिति को एल-1 के प्रमाण-पत्रों को असंतोषजनक माने जाने के कारणों तथा इसके बदले एल-2 को निविदा देने, दरों की व्यावहारिकता के बारे में भी और विस्तृत ब्यौरे देने चाहिए थे.

प्रसंगवश, इस कार्य का अनुमानित मूल्य कार्यवृत्त में 2.06 लाख रूपये के रूप में दर्शाया गया था जबकि स्वीकृति के लिए सिफारिश किया गया प्रस्ताव एक करोड़ से अधिक था और निविदा समिति के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख भी नहीं डाली थी. निविदा सूचना तथा ब्रीफिंग नोट के अनुसार, वास्तविक अनुमानित लागत 1,04,11,500/-रुपए थी.

अत: यह पुन: दोहराया जाता है कि निविदा समिति के कार्यवृत्त स्वत:पूर्ण होने चाहिए और निविदा समिति को निम्नतम/निम्न प्रस्तावों की अनदेखी करने के कारणों का विस्तृत एवं स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए और निविदा समिति को कार्यवृत्त में उल्लिखित आंकड़ों की बखूबी जांच करनी चाहिए और सदस्यों को अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख भी डालनी चाहिए.

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त एवं सतर्कता निदेशालयों की सहमति से जारी किया जा रहा है.

प्रमोद कुमार

(प्रमोद कुमार)
कार्यपालक निदेशक, सिविल इंजी (सा.)
रेलवे बोर्ड.